फार्म अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटपूतली

बनाम कृषि भूमि

किस्म मुकदमा नम्बर 182

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मोहनपुरा उर्फ खरखड़ा पटवार हल्का बल्लुपुरा तहसील पाटन भूमि खसरा नं. 7 रकबा 2.82 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
कठकथाना (राज.)

आदेश

प्रा0 पत्र 182/2024

निर्णय दिनांक 27.06.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मोहनपुरा उर्फ खरखड़ा पटवार हल्का बल्लुपुरा तहसील पाटन भूमि खसरा नं. 7 रकबा 2.82 हैक्ट0 की प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 10.10.2022 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की [illegible] नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु [illegible] फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दर्ज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:49:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
कठकथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner